विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/1043 दिनांक : 14-12-17

प्रति,

प्राचार्य,
श्री गुरू सांदीपनि गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
ग्राम–सुरासा, आगर रोड़,उज्जैन(म.प्र.)

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/158,एवं 159, दिनांक 10.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.12.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि,श्री गुरू सांदीपनि गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,उज्जैन में सत्र 2017–18 से बी.कॉम.–द्वितीय वर्ष(प्लेन),बी.एससी. –द्वितीय वर्ष (आ.पा.भौतिकी,गणित,रसायन,कम्प्यूटर विज्ञान,माईक्रोबॉयोलॉजी,जूलॉजी,बॉयोटेक्नोलॉजी)पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार इंगित की गई कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने की शर्त पर उपरोक्त महाविद्यालय को 2017–18से बी.कॉम.–द्वितीय वर्ष(प्लेन),बी.एससी.–द्वितीय वर्ष(आ.पा. भौतिकी,गणित,रसायन,कम्प्यूटर विज्ञान,माईक्रोबॉयोलॉजी,जूलॉजी,बॉयोटेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.कॉम.–द्वितीय वर्ष(प्लेन)	60
02.	बी.एससी.–द्वितीय वर्ष(भौतिकी,गणित,रसायन)	60
03.	बी.एससी.–द्वितीय वर्ष(भौतिकी,गणित,कम्प्यूटर विज्ञान)	60
04.	बी.एससी.–द्वितीय वर्ष(माईक्रोबॉयोलाजी,प्राणिकी,रसायन,)	60
05.	बी.एससी.–द्वितीय वर्ष(बॉयोटेक्नोलॉजी,प्राणिकी,रसायन)	60

शर्तें :–01. आवेदित पाठ्यक्रमों हेतु प्रत्येक विषय की 30–30 पुस्तकें क्रय की जाये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02